



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01112025-267316
CG-MH-E-01112025-267316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702]
No. 702]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 31 अक्टूबर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/272 .—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—

- (I) अध्याय-I में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (जक) में, शब्दों “इक्विटी डेरिवेटिव” के बाद और शब्दों तथा चिह्नों “और ऐसा अन्य लिखत (इंस्ट्रुमेंट)” से पहले चिह्न तथा शब्द “, रीट (रियल इस्टेट निवेश न्यास) की यूनिटें” जोड़े जाएँगे।
- (II) अध्याय-VI में, विनियम 49 में, उप-विनियम (3) में, अंक तथा शब्द “95 प्रतिशत” के स्थान पर अंक तथा शब्द “97 प्रतिशत” आ जाएँगे।
- (III) अध्याय-VI-ग में, विनियम 49क में,—

(i) उप-विनियम (2) में,—

क) शब्दों तथा चिह्नों “कोई भी ‘विशेष निवेश फंड’ किसी एक कंपनी के पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी) [मताधिकारों वाली] के पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा पेड अप कैपिटल में निवेश (अपनी हर ‘निवेश योजना’ के अंतर्गत किए गए निवेश को मिलाकर) नहीं करेगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कोई भी ‘विशेष निवेश फंड’ (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) अपनी सभी निवेश योजनाओं (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) के तहत, यथास्थिति, किसी एक कंपनी की मताधिकारों वाली पेड-अप कैपिटल में से पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रखेगा या किसी एक इश्युअर द्वारा जारी की गई रीट की यूनिटों में से पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा यूनिटें नहीं रखेगा” आ जाएँगे;

ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्,—

“स्पष्टीकरण: यदि किसी म्यूचुअल फंड के पास अपनी सभी स्कीमों के अंतर्गत किसी एक कंपनी की मताधिकारों वाली पेड-अप कैपिटल में से दस प्रतिशत की हिस्सेदारी हो या किसी एक इश्युअर द्वारा जारी की गई रीट की यूनिटों में से दस प्रतिशत यूनिटें हों, तो ऐसे में ‘विशेष निवेश फंड’ (स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड) अपनी सभी निवेश योजनाओं (इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी) के तहत, यथास्थिति, उस कंपनी की मताधिकारों वाली पेड-अप कैपिटल में से पाँच प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रखेगा या उस इश्युअर द्वारा जारी की गई रीट की यूनिटों में से पाँच प्रतिशत से ज्यादा यूनिटें नहीं रखेगा।”

(ii) उप-विनियम (3) में, शब्द “कंपनी” के स्थान पर शब्द “एंटिटी” आ जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) में,—

क) चिह्नों तथा शब्दों “ ‘विशेष निवेश फंड’ ” के बाद और शब्दों “इनविट की यूनिटों” से पहले दिए हुए शब्द “रीट और” हट जाएँगे;

ख) खंड (क) में, शब्द “रीट और” हट जाएँगे;

ग) खंड (ख) में, उप-खंड (i) में, शब्द “रीट और” हट जाएँगे;

घ) खंड (ख) में, उप-खंड (ii) में, शब्द “रीट और” हट जाएँगे;

ङ) खंड (ख) के परंतुक में, शब्द “रीट और” हट जाएँगे।

(IV) अध्याय-VII में, विनियम 52 में, उप-विनियम (6क) में, खंड (ख) हट जाएगा।

(V) सातवीं अनुसूची में,-

- (i) खंड (2) में, शब्दों “किसी भी पारस्परिक निधि को इसकी सभी स्कीमों के अधीन किसी कंपनी की मताधिकार युक्त प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का स्वामी नहीं होना चाहिए” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी सभी स्कीमों के तहत, यथास्थिति, किसी एक कंपनी की मताधिकारों वाली पेड-अप कैपिटल में से दस प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रखेगा या किसी एक इश्युअर द्वारा जारी की गई रीट की यूनिटों में से दस प्रतिशत से ज्यादा यूनिटें नहीं रखेगा” आ जाएंगे;
- (ii) खंड (10) में, शब्दों तथा अंक “कोई पारस्परिक निधि स्कीम इसके शुआमू के 10 प्रतिशत से अधिक किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों या इक्विटी संबद्ध लिखतों में विनिधान नहीं करेगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी एन.ए.वी. के 10 प्रतिशत से ज्यादा का निवेश किसी एंटीटी के इक्विटी शेयरों और इक्विटी लिंकड इस्ट्रूमेंट्स (इक्विटी संबद्ध लिखतों) में नहीं करेगा” आ जाएंगे;
- (iii) खंड (13) में,
 - क) शब्दों तथा चिह्नों “पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)” के बाद और शब्दों “अवसंरचना निवेश न्यासों” से पहले दिए हुए शब्द “रियल इस्टेट निवेश न्यासों और” हट जाएंगे;
 - ख) उप-खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न “रियल इस्टेट निवेश न्यास (रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और” हट जाएंगे;
 - ग) उप-खंड (ख) में, मद (i) में, शब्द “रियल इस्टेट निवेश न्यास और” हट जाएंगे;
 - घ) उप-खंड (ख) में, मद (ii) में, शब्द “रियल इस्टेट निवेश न्यास और” हट जाएंगे;
 - ङ) उप-खंड (ख) के परंतुक में, शब्द “रियल इस्टेट निवेश न्यास और” हट जाएंगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./436/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), द्वारा 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा

- (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
- (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
- (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
- (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
- (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
- (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
- (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 956 (अ), द्वारा
- (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045 (अ), द्वारा
- (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 632 (अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा

- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा

- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा

- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा
- (54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा
- (55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/36, द्वारा
- (57) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/56, द्वारा
- (58) 25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70, द्वारा
- (59) 3 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/92, द्वारा
- (60) 16 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/106, द्वारा
- (61) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (62) 27 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/134, द्वारा
- (63) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- (64) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- (65) 2 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/188, द्वारा
- (66) 1 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/197, द्वारा
- (67) 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/221, द्वारा

- (68) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा
- (69) 17 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st October, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/272.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, -
 - (I) In Chapter I, in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ja), after the words “equity derivatives” and before the words “and such other instrument”, the words and symbols “, units of Real Estate Investment Trust” shall be inserted.
 - (II) In Chapter VI, in regulation 49, in sub-regulation (3), the words and figures “95 per cent” shall be substituted with the words and figures “97 per cent”.
 - (III) In Chapter VI-C, in regulation 49AA,
 - (i) in sub-regulation (2),
 - a) after the words “paid up capital carrying voting rights”, the words and symbol “or fifteen per cent of units of REITs issued by a single issuer, as the case may be” shall be inserted;
 - b) the Explanation shall be substituted with the following, namely –

“Explanation: If a mutual fund under all its schemes owns ten per cent of any company’s paid up capital carrying voting rights or ten per cent of units of REITs issued by a single issuer, as the case may be, then the Specialized Investment Fund under all its investment strategies shall not own more than five per cent of that company’s paid up capital carrying voting rights or five per cent of units of REITs issued by a single issuer respectively, as the case may be.
 - (ii) in sub-regulation (3), the words “of any company” shall be substituted with “of any entity”;
 - (iii) in sub-regulation (4),
 - a) after the words “may invest in the units of” and before the words and symbol “InvITs subject to the following:”, the words “REITs and” shall be omitted;
 - b) in clause (a), the words “REIT and” shall be omitted;
 - c) in clause (b), in sub-clause (i), the words “REITs and” shall be omitted;
 - d) in clause (b), in sub-clause (ii), the words “REIT and” shall be omitted;
 - e) in the proviso to clause (b), the words “REIT and” shall be omitted.

- (IV) In Chapter VII, in regulation 52, in sub-regulation (6A), clause (b) shall be omitted.
- (V) In schedule VII,
 - (i) in Clause (2), after the words “paid up capital carrying voting rights”, the words and symbol “or ten per cent of units of REITs issued by a single issuer, as the case may be” shall be inserted;
 - (ii) in Clause (10), the words “of any company” shall be substituted with “of any entity”;
 - (iii) in Clause (13),
 - a) after the words “in the units of” and before the words and symbol “InvITs subject to the following:”, the words “REITs and” shall be omitted;
 - b) in sub-clause (a), the words “REIT and” shall be omitted;
 - c) in sub-clause (b), in item (i), the words “REIT and” shall be omitted;
 - d) in sub-clause (b), in item (ii), the words “REIT and” shall be omitted;
 - e) in proviso to sub-clause (b), the words “REIT and” shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./436/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) On April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
- (2) On January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
- (3) On December 8, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
- (4) On March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
- (5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
- (6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
- (7) On January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
- (8) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
- (9) On July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
- (10) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
- (11) On June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).

- (12) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
- (13) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
- (14) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
- (15) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
- (16) On January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
- (18) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
- (19) On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
- (20) On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) On October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) On April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/09/126202.
- (28) On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/200910/01/159601.
- (30) On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) On July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/201011/13/13945.
- (32) On August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/201112/27668.
- (33) On February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) On September 26, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.

- (35) On April 16, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/201314/03/5652.
- (36) On June 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) On August 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) On May 6, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/01/1039.
- (39) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/03/1089.
- (40) On December 30, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) On May 15, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) On February 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/034.
- (43) On February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2018/02.
- (45) On May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2018/14.
- (46) On December 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) On December 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) On April 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2019/011.
- (50) On September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On March 6, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2020/07.
- (52) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) On October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.
- (54) On February 4, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2021/08.
- (55) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (56) On August 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2021/36.
- (57) On November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.

- (58) On January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2022/70
- (59) On August 3, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/92.
- (60) On November 16, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/106.
- (61) On February 7, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (62) On June 27, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2023/134.
- (63) On July 3, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (64) On August 17, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (65) On July 2, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/188.
- (66) On August 1, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/197.
- (67) On December 16, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/221.
- (68) On February 10, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.
- (69) On February 17, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/230.